

असाधारण  
EXTRAORDINARY

Daman 20<sup>th</sup> June, 2013, 30 Jyaistha 1935 (Saka)

सं. : 20  
No.

सरकारी राजपत्र  
OFFICIAL GAZETTE



भारत सरकार  
Government of India

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

U.T. ADMINISTRATION OF DAMAN & DIU

प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

U T Administration of Daman & Diu  
Department of Panchayati Raj Institution  
Moti Daman

NOTIFICATION

Whereas, the draft "Daman and Diu Election of Upa-Sarpanch of Gram Panchayat and President and Vice President of District Panchayat, Rules, 2013" were published by Union Territory of Daman and Diu through the Department of Panchayati Raj Institution Notification No. 4/21/SPL-SEC(PRI)/2012-13/7122 dated 23/03/2013 published in Official Gazette Extraordinary No. 07 dated 23<sup>rd</sup> March, 2013.

And Whereas, objections and suggestions received in respect of the said draft Rules, have been duly considered.

And therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 121 of the Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012 (No. 4 of 2012), the Administrator, Union Territory of Daman and Diu is pleased to make the following rules :

**CHAPTER – I**

**PRELIMINARY**

1. **Short title and commencement :** (1) These rules may be called the Daman and Diu Election of Upa-Sarpanch of a Gram Panchayat and President and Vice-President of District Panchayat, Rules, 2013.  
(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the Official Gazette of Daman & Diu.
2. **Definitions :**
  - (i) "Clear days" means days exclusive of the day of issue of a notice or intimation, the day of the meeting, and any gazetted holiday or Sunday.
  - (ii) "Elected Member of District Panchayat" means the person whose name has been published in the Official Gazette as an elected member of the District Panchayat by the Election Commission;

- (iii) "Elected Member of Gram Panchayat" means the person whose name has been published in the Official Gazette as an elected member of the Gram Panchayat by the Election Commission;
- (iv) "Election Commission" means the Election Commission for Union Territory of Daman and Diu referred to in sub-section-(1) of section-99 of the Regulation;
- (v) "Form" means a form appended to these Rules;
- (vi) "Order" means an order published in Official Gazette;
- (vii) "President" means the President of District Panchayat;
- (viii) "Presiding Officer", means:
- (a) In case of election of Upa-Sarpanch of a Gram Panchayat, the person nominated by the Administrator to preside over the meeting to be held for election of the Upa-Sarpanch, but shall not have the right to vote in such meeting;
- (b) In case of election of the President or Vice-President of the District Panchayat, the person nominated by the Secretary Panchayat to preside over the meeting to be held for election of the President or Vice-President as the case may be, but shall not have the right to vote in such meeting;
- (ix) "Regulation" means the Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012;
- (x) "Secretary Panchayat" means the Secretary incharge of the Department of Panchayati Raj in the Union Territory of Daman and Diu;
- (xi) "Upa-Sarpanch" means the Upa-Sarpanch of a Gram Panchayat;
- (xii) "Vice-President" means the Vice-President of District Panchayat.

Words and expressions used, but not defined in this order, shall have the meaning respectively assigned to them in the Regulation.

**CHAPTER -II**

**ELECTION OF UPA-SARPANCH OF A GRAM PANCHAYAT**

**3. Right to Vote:** All the elected members of the Gram Panchayat shall have a right to vote for the election of Upa-Sarpanch.

**4. Qualifications for Upa-Sarpanch of Gram Panchayat.**

A person shall not be qualified to be elected as the Upa-Sarpanch of the Gram Panchayat, unless he is an elected member of the Gram Panchayat.

**5. Convening of Meeting for Election.**

- (1) The Administrator shall fix a date for convening the meeting of the Gram Panchayat for election of Upa-Sarpanch
- (2) The meeting shall be presided over by an officer appointed by the Administrator, by an order published in the Official Gazette.

**6. Notice for Election:**

- (1) The Presiding Officer shall issue a notice to all the elected members of the Gram Panchayat in **Form-I** for election of Upa-Sarpanch .
- (2) A copy of such notice shall be exhibited on the notice board of the Panchayat Office.
- (3) The notice shall be delivered at least three clear days before the date of meeting and shall indicate the date, time, place and purpose for calling the meeting.
- (4) Every notice issue shall, if practicable, be served personally by delivering or tendering it to the member to whom it is addressed or, if such person is not found, leaving it at his/her last known place of residence by giving or tendering the notice to some adult member of his/her family. If none of the aforesaid modes of serving notice is feasible, the notice shall be affixed on some conspicuous part of the building in which the member ordinarily resides.

(5) The said notice shall state:-

- (a) The place and date on which and the hours between which the nomination papers shall be filled.
- (b) The place and date on which and the hours between which the nomination papers will be taken up for scrutiny.
- (c) The place and the date on which and the hours between which validly nominated candidate may withdraw his candidature; and
- (d) The place and date on which and the hours between which the votes of the member will be taken should there be a poll.

**7. Procedure for Election of Upa-Sarpanch.**

(1) Not less than two hours before the time fixed for the meeting for the election of Upa-Sarpanch, any elected member of the Gram Panchayat who has right to vote under Rule 3 of this order may nominate, by nomination paper in **Form-II**, any other member for election as Upa-Sarpanch and deliver it to the Presiding Officer.

The nomination paper shall be signed by him/her and by another elected member as seconder. It shall also show the willingness of the Candidate to serve as Upa-Sarpanch, if elected. No member shall be allowed to propose or second more than one candidate as Upa-Sarpanch:

(2) Immediately after the time for receipt of nomination paper is over the Presiding Officer shall cause to be published a list in the form prescribed in **Form II-A** containing the names of the candidates whose names have been received under the preceding sub-rule (1) above.

(3) The Presiding Officer shall then scrutinize the nomination papers delivered to him under the provisions of rule 4 and shall thereafter cause to publish a list containing the names of the candidates in **Form-B** who in his opinion, have been duly validly nominated together with the names of their proposers and seconders.

- (4) A candidate may withdraw his/her candidature by giving notice to this effect to the Presiding Officer, not less than one hour before the time fixed for the meeting for the election of Upa-Sarpanch.
- (5) The Presiding Officer shall immediately after the expiry of time limit fixed for withdrawal of candidature cause to publish a list containing the names of the contesting candidates in **Form II-C** and affix a copy of it on the notice board of Gram Panchayat.
- (6) If only one candidate has been validly nominated for the office of the Upa-Sarpanch of the Gram Panchayat, the Presiding Officer shall declare him/her to have been elected as Upa-Sarpanch of the Gram Panchayat.
- (7) If more than one candidate have been validly nominated for the office of the Upa-Sarpanch of Gram Panchayat, the Presiding Officer shall proceed with the election of Upa-Sarpanch of the Gram Panchayat.
- (8) (a) For the purpose of sub-rule (7) the Presiding Officer shall cause the ballot paper to be prepared in **Form II-D**.
- (b) The names of the contesting candidates shall be arranged on the ballot paper in the alphabetical order determined with reference to the surname of the candidates having surname and the names proper of other candidates. The particular in the ballot paper and alphabetical order to be followed shall be in English.

#### 8. Manner of Voting:

- (i) Each ballot paper shall contain the names of validly nominated candidates for the post of Upa-Sarpanch .
- (ii) Each elected member of the Gram Panchayat shall record his/ her vote on the ballot paper by ticking (√) against the name of candidate to whom he /she wish to give his/her vote. The ballot paper shall be signed with name by the elected member. The ballot paper shall also have the details of Ward from where he/she is elected.
- (iii) Each elected member shall insert the ballot paper so marked into a box kept for this purpose at the place of such election.

EXTRAORDINARY No. : 20

DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

- (iv) The paper used for voting shall not be destroyed until further orders of the Secretary Panchayat.
- (v) (a) An elected member who has inadvertently dealt with his/her ballot paper in such manner that it cannot be conveniently used as a ballot papers, may return it to the Presiding Officer and on satisfying such Authority of the inadvertence, obtain another ballot paper, and the ballot paper so returned shall be marked "spoilt/cancelled" by the Presiding Officer.
- (b) All ballot papers cancelled under clause (a) shall be kept in a separate packet/cover.
- (vi) If the elected member is illiterate or, owing to blindness, is unable to mark on the ballot paper, the Presiding Officer shall record the vote on the ballot paper in accordance with the wishes of the voter and obtain his/her thumb impression on the ballot paper.
- (vii) The Presiding Officer shall count the votes with the help of such other persons as he may appoint, in the presence of the elected members.
- (viii) The Presiding Officer shall reject any paper:-
- (a) which is unmarked;
  - (b) which has marks inconsistent with these rules;
  - (c) the marking on which is uncertain.
9. The candidate who obtains the highest number of votes shall be declared by the Presiding Officer to have been duly elected as Upa-Sarpanch of the Gram Panchayat, as the case may be. In the case of equality of votes, the result of the election shall be decided by lots drawn in the presence of the Presiding Officer in such manner as he may determine.

EXTRAORDINARY No. : 20
DATED : 20 <sup>TH</sup> JUNE, 2013.

**10. Postponement of meeting:-** If at a meeting called for the election of a Upa-Sarpanch of the Gram Panchayat, the election is not conducted for any reason whatsoever, the Presiding Officer shall have the power to call the meeting on any other day; Provided that the Presiding Officer shall intimate as soon as possible, the reasons for postponement and the next date fixed for the purpose to the Administrator and Secretary Panchayat.

**11. Declaration of name of the elected person as Upa-Sarpanch Gram Panchayat.** Immediately after the completion of the election, the Presiding Officer shall affix on the notice board of the Gram Panchayat concerned, a notice in **Form-III** signed by him declaring the name of person elected as Upa-Sarpanch and send a copy of such notice to the Administrator and Secretary Panchayat.

**12. Publication of results.** The Secretary Panchayat shall, as soon as possible, publish in the Official Gazette the names of the Upa-Sarpanch of Gram Panchayat when so elected.

**CHAPTER -III**

**ELECTION OF PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT  
OF DISTRICT PANCHAYAT**

**13. Right to Vote:** All the elected members of the District Panchayat shall have a right to vote for the election of President or Vice-President of District Panchayat, or both as the case may be.

**14. Qualifications for President and Vice-President of District Panchayat.**

(1) A person shall not be qualified to be elected as the President of the District Panchayat, unless he is an elected member of the District Panchayat. In case such post is reserved for Scheduled Castes or Scheduled Tribes according to the roster or reservation maintained, such person should be a member of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes of the Union Territory of Daman and Diu, as the case may be.

(2) A person shall not be qualified to be elected as the Vice-President of the District Panchayat unless he is an elected member of the District Panchayat.

**15. Reservation of the Office of the President, District Panchayat.** The Office of the President, District Panchayat, shall be reserved for the Schedule Castes and the Schedule Tribes of the Union Territory according to a roster of reservation maintained as referred to in sub section-5 of Section-61 of the Regulation.

Provided that the office of the President shall be reserved for a woman in every second term.



**16. Convening of Meeting for Election.**

- (1) The Secretary Panchayat shall fix a date for convening the meeting of the District Panchayat for election of President or Vice-President, or both as the case may be.
- (2) The meeting shall be presided over by an officer appointed by the Secretary Panchayat.

**17. Notice for Election:**

- (1) The Presiding Officer shall issue a notice to all the elected members of the District Panchayat in **Form-IV** for election of President or Vice-President, or both, as the case may be .
- (2) A copy of such notice shall be exhibited on the notice board of the District Panchayat.
- (3) The notice shall be delivered at least three clear days before the date of meeting and shall indicate the date, time, place and purpose for calling the meeting.
- (4) Every notice issue shall, if practicable, be served personally by delivering or tendering it to the member to whom it is addressed or, if such person is not found, leaving it at his/her last known place of residence by giving or tendering the notice to some adult member of his/her family. If none of the aforesaid modes of serving notice is feasible, the notice shall be affixed on some conspicuous part of the building in which the member ordinarily resides.
- (5) The said notice shall state:-
  - (a) The place and date on which and the hours between which the nomination papers shall be filled.
  - (b) The place and date on which and the hours between which the nomination papers will be taken up for scrutiny.
  - (c) The place and the date on which and the hours between which validly nominated candidate may withdraw his candidature; and
  - (d) The place and date on which and the hours between which the votes of the member will be taken should there be a poll.

**18. Procedure for Election of President and Vice-President.**

- (1) Not less than two hours before the time fixed for the meeting for the election of President or Vice-President, or both as the case may be, any elected member of a District Panchayat who has right to vote under Rule 13 of this order may nominate, by nomination paper in **Form-V**, any other member for election as President or Vice President and deliver it to the Presiding Officer.

The nomination paper shall be signed by him/her and by another elected member as seconder. It shall also show the willingness of the Candidate to serve as President or Vice-President as the case may be, if elected. No member shall be allowed to propose or second more than one candidate as President or Vice-President, as the case may be:

Provided that the Presiding Officer may dispense with the condition of nomination paper to be signed by a seconder for reasons to be recorded in writing to give effect to the reservation for the office of President provided under the Regulation.

- (2) Immediately after the time for receipt of nomination paper is over the Presiding Officer shall cause to be published a list in the form prescribed in **Form V-A** containing the names of the candidates whose names have been received under sub-rule (1) above.
- (3) A candidate may withdraw his/her candidature by giving notice to this effect to the Presiding Officer, not less than one hour before the time fixed for the meeting for the election of President or Vice-President as the case may be.
- (4) The Presiding Officer shall then scrutinize the nomination papers delivered to him under the provisions of rule 14 and shall thereafter cause to publish a list containing the names of the candidates in **Form V-B** who in his opinion, have been duly validly nominated together with the names of their proposers and seconders.

- (5) If only one candidate has been validly nominated for the office of the President or Vice-President of the District Panchayat, as the case may be, the Presiding Officer shall declare him to have been elected as President or Vice-President of the District Panchayat, as the case may be.
- (6) If more than one candidate have been validly nominated for the office of the President or Vice-President of District Panchayat, the Presiding Officer shall proceed with the election of President or Vice-President of the District Panchayat.
- (7) (a) For the purpose of sub-rule (6) the Presiding Officer shall cause the ballot paper to be prepared in **Form V-C**.
- (b) The names of the contesting candidates shall be arranged on the ballot paper in the alphabetical order determined with reference to the surname of the candidates having surname and the names proper of other candidates. The particular in the ballot paper and alphabetical order to be followed shall be in English.

**19. Manner of Voting:**

- (i) Each ballot paper shall contain the names of validly nominated candidates for the post of President or Vice-President as the case may be .
- (ii) If the election for the President or Vice-President are held simultaneously separate ballot paper shall be used for each post.
- (iii) Each elected member of the District Panchayat shall record his/ her vote on the ballot paper by ticking (√) against the name of candidate to whom he /she wish to give his/her vote. The ballot paper shall be signed with name by the elected member. The ballot paper shall also have the details of Ward from where he/she is elected.
- (iv) Each elected member shall insert the ballot paper so marked into a box kept for this purpose at the place of such election.

- (v) The paper used for voting shall not be destroyed until further orders of the Secretary Panchayat.
- (vi) (a) An elected member who has inadvertently dealt with his/her ballot paper in such manner that it cannot be conveniently used as a ballot papers, may return it to the Presiding Officer and on satisfying such Authority of the inadvertence, obtain another ballot paper, and the ballot paper so returned shall be marked "spoilt/cancelled" by the Presiding Officer.
- (b) All ballot papers cancelled under clause (a) shall be kept in a separate packet/cover.
- (vii) If the elected member is illiterate or, owing to blindness, is unable to mark on the ballot paper, the Presiding Officer shall record the vote on the ballot paper in accordance with the wishes of the voter and obtain his/her thumb impression on the ballot paper.
- (viii) The Presiding Officer shall count the votes with the help of such other persons as he may appoint, in the presence of the elected members.
- (ix) The Presiding Officer shall reject any paper:-
- (a) which is unmarked;
  - (b) which has marks inconsistent with these rules;
  - (c) the marking on which is uncertain.

20. The candidate who obtains the highest number of votes shall be declared by the Presiding Officer to have been duly elected as President or Vice-President of the District Panchayat, as the case may be. In the case of equality of votes, the result of the election shall be decided by lots drawn in the presence of the Presiding Officer in such manner as he may determine.

EXTRAORDINARY No. : 20  
DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

EXTRAORDINARY No. : 20  
DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.


- 21. Postponement of meeting:-** If at a meeting called for the election of a President or Vice-President of the District Panchayat, the election is not conducted for any reason whatsoever, the Presiding Officer shall have the power to call the meeting on any other day;  
Provided that the Presiding Officer shall intimate as soon as possible, the reasons for postponement and the next date fixed for the purpose to the Secretary Panchayat.
- 22. Declaration of name of the elected person as President or Vice-President of District Panchayat.** Immediately after the completion of the election, the Presiding Officer shall affix on the notice board of the District Panchayat concerned, a notice in Form-VI signed by him declaring the name of person elected as president or Vice-President, as the case may be, and send a copy of such notice to the Secretary Panchayat.
- 23. Publication of results.** The Secretary Panchayat shall, as soon as possible, publish in the Official Gazette the names of the President or the Vice-President when so elected.

#### CHAPTER - IV

##### Repeal and Savings

- 24.** As from the date of commencement of these Rules, the Daman and Diu (Panchayats) (Election of Chairman, Vice-Chairman, President-Cum-Chief Councillor and Vice-President-cum-Councillor) Rules, 1995 will stand repealed:  
Provided that such repeal shall not affect any provision in those rules which is not inconsistent with the provisions of the Regulation or these Rules, unless and until that provision is superseded by any law.

On behalf of the Administrator  
of Union Territory of Daman & Diu and  
Dadra & Nagar Haveli

  
Special Secretary (PRI)  
Daman & Diu

No. 4/21/DMN/(PRI)/ELEC.P.VP/2013/47  
Dated : 20/06/2013.

**FORM -I**

[See rule 6(1)]

**Notice for election of Upa-Sarpanch of Gram Panchayat of**

To

In pursuance of sub- rule (1) of rule 6 of the Daman. & Diu Election of Upa-Sarpanch of a Gram Panchayat and President and Vice President of District Panchayat, Rules,2013, I, \_\_\_\_\_ Presiding Officer \_\_\_\_\_ do hereby give notice that a meeting of \_\_\_\_\_ Gram Panchayat to be held on \_\_\_\_\_ [date] at \_\_\_\_\_ [Hours] at \_\_\_\_\_ [place] to elect the Upa-Sarpanch under section 17 of the Daman and Diu Panchayat Regulation,2012.

(1) Nomination paper may be delivered to the undersigned at the \_\_\_\_\_ [place] between ( ) a.m./p.m. to ( ) a.m./p.m. on the day of meeting.

(2) Nomination paper will be taken up for scrutiny on the same day between ( ) a.m./p.m. & ( ) a.m./p.m. at \_\_\_\_\_ [place]

(3) Notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a candidate or his proposer (duly authorized by the candidate) to me at \_\_\_\_\_ [place] before ( ) a.m./ p.m. on the same day.

(4) In the event of the election being contested, the poll will be taken on the same day at ( ) a.m./p.m. at \_\_\_\_\_ [place]

\_\_\_\_\_  
Presiding Officer

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

EXTRAORDINARY No. : 20  
DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

**FORM -II**

[See rule 7(1)]

**Form of nomination paper for election for the Office of**

**Upa-Sarpanch of Gram Panchayat .....**

1.	Name of Panchayat	
2.	Name in full of the candidate	
3.	Name of Ward from which the candidate had been elected	
4.	Name of the proposer	
5.	Name of Ward from which the proposer had been elected or name of Village Panchayat of which the proposer is the Chairman	
6.	Name in full of seconder	
7.	Name of Ward from which the seconder had been elected or name of Village Panchayat of which the seconder is the Chairman	

Place:.....

Date:.....

.....  
Signature of proposer

.....  
Signature of seconder

**DECLARATION**

I hereby declare that I agree to the nomination and am willing to serve as Upa-Sarpanch.

Place:.....

Date:.....

.....  
Signature of candidate

\* Strike out which is not applicable.

EXTRAORDINARY No. : 20

DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

**FORM II-A**  
[See Rule 7 (2)]

List of candidates proposed for nomination of election as Upa-Sarpanch of Gram Panchayat \_\_\_\_\_

Sr. No.	Name of Candidate	Name of Proposer	Name of Seconder
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

Date: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of the Presiding Officer



EXTRAORDINARY No. : 20

DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

**FORM II-B**  
[See Rule 7(3)]

List of candidates validly nominated for election as Upa-Sarpanch of Garm Panchayat

Sr. No.	Name of Candidate	Remarks (in any )
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Date: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of the Presiding Officer

EXTRAORDINARY No. : 20

DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

**FORM II-C**

[See Rule 7(5)]

List of contesting candidates for election as Upa-Sarpanch of Gram Panchayat

---

Sr. No.	Name of Candidate	Remarks (if any)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

---

Date: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of the Presiding Officer

EXTRAORDINARY No. : 20  
DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

**FORM II-D**  
[See Rule 7(8) (a)]

**Ballot Paper**

Election to the Upa-Sarpanch of \_\_\_\_\_  
Gram Panchayat.

Date:- \_\_\_\_\_

**Signature and seal of  
The Presiding Officer.**

Sr. No.	Name of Candidate	For Mark (✓) by voter
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Signature \_\_\_\_\_

Name of Sarpanch/Member \_\_\_\_\_

Ward Number \_\_\_\_\_

**FORM-III**  
[See rule 11]

In pursuance of rule 11 of the Daman and Diu Election of Upa-Sarpanch of Gram Panchayat and President and Vice-President of District Panchayat, Rules, 2013, I hereby declare that the persons whose names are given in column (1) of the Schedule below has been duly elected for the office mentioned in column (2) against his name for the Panchayat mentioned in Column (3) of the said Schedule, namely:-

**SCHEDULE**

Name of person	Office to which elected	Name of Panchayat to which office relates
(1)	(2)	(3)

Place:.....

Date:.....

.....  
Presiding Officer

EXTRAORDINARY No. : 20  
DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

**FORM-IV**  
**[See Rule 17(1)]**

**Notice for election of President or Vice-President of District Panchayat,  
Daman and Diu**

To

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

In pursuance of sub- rule (1) of rule 17 of the Daman & Diu Election of Upa-  
Sarpanch of a Gram Panchayat and President and Vice President of District  
Panchayat, Rules,2013, I, \_\_\_\_\_ Presiding Officer  
\_\_\_\_\_ do hereby give notice that a meeting of  
\_\_\_\_\_ District Panchayat to be held on  
\_\_\_\_\_ [date] at \_\_\_\_\_ [Hours] at \_\_\_\_\_ [place]  
to elect the President/Vice President under section 61 of Daman and Diu Panchayat  
Regulation,2012.

(1) Nomination paper may be delivered to the undersigned at the  
\_\_\_\_\_ [place] between ( ) a.m./p.m. to ( ) a.m./p.m.  
on the day of meeting.

(2) Nomination paper will be taken up for scrutiny on the same day between  
( ) a.m./p.m. & ( ) a.m./p.m. at \_\_\_\_\_ [place]

(3) Notice of withdrawal of candidature may be delivered either by a  
candidate or his proposer (duly authorized by the candidate) to me at  
\_\_\_\_\_ [place] before ( ) a.m./p.m. on the same day.

(4) In the event of the election being contested, the poll will be taken on the  
same day at ( ) a.m./p.m. at \_\_\_\_\_ [place]

\_\_\_\_\_  
Presiding Officer

Place \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_

EXTRAORDINARY No. : 20

DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

**FORM-V**  
[See Rule 18(1)]

**Form of nomination paper for election for the Office of  
President or Vice-President of District Panchayat \_\_\_\_\_**

1.	Name of the District Panchayat	
2.	Name in full of the candidate	
3.	Name of Ward from which the candidate has been elected	
4.	Name in full of the proposer	
5.	Name of the Ward from which the proposer has been elected	
6.	Name in full of seconder	
7.	Name of Ward from which the seconder has been elected	

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of proposer

\_\_\_\_\_  
Signature of seconder

**DECLARATION**

I hereby declare that I agree to the nomination and am willing to serve as President/Vice-President of District Panchayat \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of candidate

EXTRAORDINARY No. : 20

DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

**FORM V-A**  
[See Rule 18 (2)]

List of candidates proposed for nomination of election as President/Vice-President of District Panchayat \_\_\_\_\_

Sr. No.	Name of Candidate	Name of Proposer	Name of Seconder
---------	-------------------	------------------	------------------

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Date: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of the Presiding Officer

EXTRAORDINARY No. : 20
DATED : 20 <sup>TH</sup> JUNE, 2013.

**FORM V-B**  
[See Rule 18 (4)]

List of candidates validly nominated for election as President/Vice-President of District Panchayat \_\_\_\_\_

Sr. No.	Name of Candidate	Remarks (if any)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Date: \_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Signature of the Presiding Officer



EXTRAORDINARY No. : 20

DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

EXTRAORDINARY No. : 20  
DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

**FORM V-C**  
[See Rule 18(7)(a)]

**Ballot Paper**

Election to the President/Vice-President of District Panchayat \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

**Signature and seal of  
The Presiding Officer.**

Sr. No.	Name of Candidate	For Mark (✓) by voter
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

Signature \_\_\_\_\_

Name of Elected Member \_\_\_\_\_

Ward No. \_\_\_\_\_

**FORM-VI**  
**(See Rule 22)**

I \_\_\_\_\_ duly appointed by the Competent Authority as Presiding Officer, hereby declare that the persons whose name are given in column (1) of the Schedule below have been duly elected for the office mentioned in column (2) of the said Schedule, namely:-

**SCHEDULE**

<b>Name of person</b>	<b>Office to which elected</b>	<b>District Panchayat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Place: \_\_\_\_\_

Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Presiding Officer**

संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन

पंचायती राज संस्थान विभाग

मोटी दमण

### अधिसूचना

जबकि, पंचायती राज संस्थान विभाग की अधिसूचना सं.4/21/एस.पी.एल.-सचिव(पी.आर.आई.)/2012-13/122 दिनांक 23/03/2013 के माध्यम से संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन ने दिनांक 23 मार्च, 2013 के असाधारण राजपत्र में "दमण एवं दीव ग्राम पंचायत के उप-सरपंच एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन नियम, 2013" का प्रारूप प्रकाशित किया था।

और जबकि, कथित प्रारूप नियम के लिए प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किया गया है।

तत् उपरांत, दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 (2012 का सं.4) के अनुच्छेद 121 के उप-अनुच्छेद (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रशासक, संघ प्रदेश दमण एवं दीव निम्नलिखित नियम बनाते हैं:

### अध्याय-1

#### प्रस्तावना

1. लघु शीर्षक एवं प्रभावी होने की तिथि : (1) यह नियम दमण एवं दीव ग्राम पंचायत के उप-सरपंच एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन, नियम, 2013 के नाम से जाना जायेगा।

(2) यह नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

#### 2. परिभाषा:

(i) "पूर्ण दिवस" का अभिप्राय उस दिवस से है जिसमें सूचना जारी करने या सूचित करने की दिवस, बैठक की दिवस, और कोई राजपत्रित अवकाश या रविवार शामिल नहीं है।

(ii) "जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसका नाम आयोग द्वारा जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्य के रूप में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है;

- (iii) "ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसका नाम आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य के रूप में सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया गया है;
- (iv) "निर्वाचन आयोग" का अभिप्राय दमण एवं दीव पंचायती विनियम, 2012 के अनुच्छेद 99 की उप-धारा-(1) में संदर्भित संघ प्रदेश दमण एवं दीव के निर्वाचन आयोग से है;
- (v) "प्रपत्र" का अभिप्राय इस आदेश से जुड़े प्रपत्र से है;
- (vi) "आदेश" का अभिप्राय सरकारी राजपत्र में प्रकाशित आदेश से है;
- (vii) "अध्यक्ष" का अभिप्राय जिला पंचायत के अध्यक्ष से है;
- (viii) "पीठासीन अधिकारी" का अभिप्राय:
- (क) ग्राम पंचायत के उप-सरपंच के निर्वाचन के मामले में, प्रशासक द्वारा नामित व्यक्ति ही उप-सरपंच के निर्वाचन हेतु आमंत्रित बैठक का संचालन करेगा, परंतु उसे इस बैठक में मताधिकार का अधिकार नहीं होगा;
- (ख) जिला पंचायत के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के मामले में, पंचायत सचिव द्वारा नामित व्यक्ति ही अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, के निर्वाचन हेतु आयोजित बैठक में पीठासीन अधिकारी होंगे, परंतु उसे इस बैठक में मताधिकार का अधिकार नहीं होगा;
- (ix) "विनियम" का अभिप्रेत दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 से है;
- (x) "सचिव पंचायत" से अभिप्रेत संघ प्रदेश दमण एवं दीव में पंचायती राज विभाग के प्रभारी सचिव से है;
- (xi) "उप सरपंच" का अभिप्रेत ग्राम पंचायत के उप सरपंच से है;
- (xii) "उपाध्यक्ष" का अभिप्रेत जिला पंचायत के उपाध्यक्ष से है।

उपयोग में लाये गये शब्द और प्रतीक, जिनकी व्याख्या इस आदेश में नहीं की गई है, उसका अभिप्रेत विनियम में संदर्भित आशय के रूप में क्रमशः किया जायेगा।

अध्याय-II

ग्राम पंचायत के उप-सरपंच का निर्वाचन

3. मताधिकार: ग्राम पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्य को उप-सरपंच के निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार होगा।
4. ग्राम पंचायत के उप-सरपंच के लिए पात्रता.  
यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का निर्वाचित सदस्य नहीं है, तो वह ग्राम पंचायत के उप-सरपंच के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा।
5. निर्वाचन हेतु बैठक का आयोजन.  
(1) प्रशासक ग्राम पंचायत के उप-सरपंच के निर्वाचन हेतु बैठक की तिथि निर्धारित करेंगे  
(2) बैठक प्रशासक द्वारा सरकारी राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर नियुक्ति किये गये पीठासीन अधिकारी के द्वारा संचालित किया जायेगा।
6. निर्वाचन की सूचना:  
(1) पीठासीन अधिकारी समस्त निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्यों को, उप-सरपंच के निर्वाचन हेतु, प्रपत्र-1 में सूचना जारी कर सकता है।  
(2) इस सूचना की एक प्रति जिला पंचायत के सूचनापट्ट पर सूचनार्थ लगाई जाये।  
(3) सूचना को बैठक के आयोजन के तीन दिन पूर्व दी जाये और इस सूचना में तिथि, समय, स्थल और बैठक बुलाये जाने का कारण स्पष्ट रूप से लिखा गया हो।  
(4) जारी की जाने वाली सभी सूचना, अगर व्यवहारिक हो तो, व्यक्तिगत रूप से दिया जाये या उस व्यक्ति को दिया जाये जिसे दिया जाना है या, अगर वह व्यक्ति न मिले तो, उसे उसके अंतिम निवास स्थल पर भेजा जाये और उसे उसके परिवार के वयस्क व्यक्ति को दिया जाये। अगर उपर्युक्त वर्णित तरीकों में कोई भी संभव नहीं हो तो, सूचना को सदस्य के निवास स्थल के दृष्टिगोचर स्थल पर चिपकाया जाना चाहिए।

(5) इस सूचना में निम्नलिखित बातें दर्शायी गईं हो:-

(क) स्थल और तिथि और अवधि जिसके मध्य नामांकन पत्र भरे जायेंगे।

(ख) स्थल और तिथि और अवधि जिसके मध्य नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी।

(ग) स्थल और तिथि और अवधि जिसके मध्य वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन पत्र वापस लिया जा सकेगा; और

(घ) स्थल और तिथि और अवधि जिसके मध्य सदस्यों द्वारा मतदान किया जायेगा।

7. उप-सरपंच के निर्वाचन हेतु प्रक्रिया.

(1) बैठक के लिए निर्धारित समय से दो घंटे पूर्व तक, कोई भी निर्वाचित सदस्य जिसे इस आदेश के नियम 3 के तहत नामित किये जाने का अधिकार है, नामांकन प्रपत्र-II में, किसी निर्वाचित सदस्य को उप-सरपंच के रूप में निर्वाचन के लिए नामांकन भरकर इसे पीठासीन अधिकारी को सौंप सकता है।

यह नामांकन पत्र प्रस्तावक द्वारा और किसी अन्य निर्वाचित सदस्य के द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। यह किसी उम्मीदवार द्वारा उप-सरपंच के रूप में कार्य करने की इच्छा को भी प्रकट करता है। कोई भी सदस्य उप-सरपंच के रूप में एक से अधिक को न तो नामांकित कर सकता है और न ही प्रस्तावित कर सकता है।

(2) नामांकन भरने की अवधि के समाप्त होने के तुरंत बाद पीठासीन अधिकारी उपर्युक्त उप-नियम (1) के तहत प्राप्त उम्मीदवारों के नाम की सूची को विहित प्रपत्र-IIए में जारी करेंगे।

(3) तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी नियम 4 के प्रावधानों के तहत प्राप्त नामांकन प्रपत्रों की संवीक्षा करेंगे और प्रपत्र-बी में उन उम्मीदवारों के नाम जारी करेंगे जो उनके विचार से वैध पाये गये हैं और साथ ही उनके प्रस्तावक और द्वितीय प्रस्तावक का नाम भी दर्शायेंगे।

- (4) कोई उम्मीदवार पीठासीन अधिकारी को सूचना देकर, उप-सरपंच के निर्वाचन हेतु निर्धारित समय से एक घंटे से पहले अपनी उम्मीदवारी को वापस ले सकता है
- (5) पीठासीन अधिकारी उम्मीदवारी वापस लेने की अवधि के समाप्त होने के तुरंत बाद प्रपत्र II-सी में उन उम्मीदवारों की सूची जारी करेंगे जो भाग ले रहे हैं और इसकी एक प्रति ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर भी लगायेंगे।
- (6) अगर कोई एक उम्मीदवार ही ग्राम पंचायत कार्यालय के उप-सरपंच के लिए वैध पाया गया हों तो, पीठासीन अधिकारी उसे ग्राम पंचायत के उप-सरपंच के रूप में निर्वाचित घोषित कर सकते हैं।
- (7) अगर ग्राम पंचायत के उप-सरपंच के कार्यालय के लिए एक से अधिक उम्मीदवार वैध रूप से नामांकित हों तो, पीठासीन अधिकारी ग्राम पंचायत के उप-सरपंच के निर्वाचन के लिए चुनाव प्रक्रिया कर सकते हैं।
- (8) (क) उप-नियम (7) के उद्देश्य हेतु पीठासीन अधिकारी प्रपत्र II-डी में तैयार मत पत्रों का प्रयोग करेंगे।
- (ख) वर्णमाला अक्षर के क्रमानुसार सभी उम्मीदवारों का नाम मतपत्र पर सजाया जाये साथ ही जिन उम्मीदवारों का उपनाम हो तो उसे भी संदर्भित किया जाये जो दूसरे उम्मीदवारों के उपयुक्त हो। मतपत्र पर दिये गये विवरण और वर्णमालानुसार तैयार किये गये मतपत्र अंग्रेजी के अनुरूप ही होने चाहिए।

8. मतदान की प्रक्रिया:

- (i) उप-सरपंच के लिए वैध नामांकित उम्मीदवारों का नाम प्रत्येक मतपत्र में होगा।
- (ii) ग्राम पंचायत के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जिस उम्मीदवार को मत देना चाहते हैं उसके नाम के सामने (√) का निशान लगाकर अपना मत देंगे। मतपत्र को निर्वाचित सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किया जाये। मतपत्र पर उस वार्ड का विवरण होना चाहिए जहाँ से वह निर्वाचित हुए हैं।

- (iii) सभी निर्वाचित सदस्य मतपत्र को इस उद्देश्य से चुनाव स्थल पर रखे गये पेटी में डालेंगे।

- (iv) सचिव पंचायत के अगले आदेशों तक मतदान हेतु प्रयुक्त मतपत्रों को नष्ट नहीं किया जायेगा ।
- (v) कोई निर्वाचित सदस्य, जिसने अपने मतपत्र को असावधानी से इस प्रकार रखा हो, जिससे अब यह मतपत्र के रूप में सुविधाजनक रूप से प्रयोग में नहीं ला सकता, वो इसे पीठासीन अधिकारी को लौटा सकते हैं और अंजाने में हुई उनकी गलती के बारे में संतुष्ट होने पर उन्हें दूसरा मतपत्र प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा "नष्ट / रद्द " चिह्न लगाया जायेगा ।

(ख) खंड (क) के अंतर्गत सभी मतपत्रों को एक अलग पैकेट / कवर में रखा जायेगा ।

- (vi) यदि निर्वाचित सदस्य अशिक्षित हो या अंधेपन के कारण मतपत्र पर चिह्न लगाने में असमर्थ हो, तो पीठासीन अधिकारी मतदाता की इच्छानुसार मतपत्र पर मत अभिलेखित करेंगे और मतपत्र पर उसके अंगूठे का चिह्न लेंगे ।
- (vii) पीठासीन अधिकारी मतों की गणना अपने द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों की सहायता से निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति में करेंगे ।

(viii) पीठासीन अधिकारी ऐसे किसी मतपत्र को अस्वीकार कर देंगे :-

(क) जो अचिन्हित हो ;

(ख) जिसमें इन नियमों के अनुसार असंगत चिह्न हों ;

(ग) जिस पर अनिश्चित चिह्न हों ।

9. जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त हों, उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष- जैसा भी मामला हो, के रूप में विधिवत निर्वाचित घोषित किया जायेगा । मतों के समान होने की स्थिति में चुनाव के परिणाम पर निर्णय पीठासीन अधिकारी के समक्ष लॉट्स ड्रॉ करके इस प्रकार लिया जाएगा, जैसा की वे निर्धारित करें ।



10. **बैठक का स्थगन :** यदि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के चुनाव हेतु बुलाई गई बैठक में किसी भी कारण से चुनाव नहीं किया जाता है, तो पीठासीन अधिकारी को उक्त बैठक किसी अन्य दिन बुलाने का अधिकार होगा ;

बशर्ते कि पीठासीन अधिकारी प्रशासक और सचिव पंचायत को यथा संभव शीघ्र बैठक के स्थगन के कारण और उक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित तिथि की सूचना देंगे ।

11. **ग्राम पंचायत के उप सरपंच के रूप में निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा :**

चुनाव समाप्ति के तुरंत बाद पीठासीन अधिकारी संबन्धित ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर अपने द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रपत्र-III में उप सरपंच के रूप में निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा करते हुए नोटिस लगवायेंगे और इस नोटिस की एक प्रति प्रशासक और सचिव पंचायत को भेजेंगे ।

12. **परिणाम की घोषणा :** सचिव पंचायत यथा संभव शीघ्र ग्राम पंचायत के उप सरपंच के रूप में निर्वाचित सदस्य का नाम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करायेंगे ।

**अध्याय -III**

**जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद हेतु चुनाव**

13. **मतदान का अधिकार :-** जिला पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्यों को जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या दोनों, जैसा भी मामला हो, के निर्वाचन हेतु मतदान करने का अधिकार होगा ।

14. **जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हेतु योग्यता :**

(1) कोई व्यक्ति जिला पंचायत का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के योग्य नहीं होगा, यदि वो उस पंचायत का निर्वाचित सदस्य नहीं है । यदि अनुरक्षित रोस्टर या आरक्षण के अनुसार ऐसा पद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हो, तो ऐसा व्यक्ति संघ प्रदेश दमण एवं दीव , जैसा भी मामला हो, दीव के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना चाहिए ।

(2) कोई व्यक्ति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के योग्य नहीं होगा, यदि वो उस पंचायत का निर्वाचित सदस्य नहीं है ।

15. **जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद का आरक्षण**

जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद उक्त विनियम की धारा-61 की उप-धारा-5 में संदर्भानुसार अनुरक्षित आरक्षण रोस्टर के अनुसार संघ प्रदेश की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेगा ।

बशर्ते कि प्रत्येक द्वितीय अवधि में अध्यक्ष का पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा ।

**16. चुनाव हेतु बैठक बुलाया जाना :**

- (1) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, के चुनाव हेतु जिला पंचायत की बैठक बुलाने हेतु तिथि अध्यक्ष निर्धारित करेंगे ।
- (2) उक्त बैठक की अध्यक्षता सचिव पंचायत द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

**17. चुनाव हेतु नोटिस :**

- (1) पीठासीन अधिकारी जिला पंचायत के सभी निर्वाचित सदस्यों को प्रपत्र-IV में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, या दोनों जैसा भी मामला हो, के चुनाव हेतु नोटिस जारी करेंगे ।
- (2) ऐसी नोटिस की प्रति जिला पंचायत के सूचनापट्ट (नोटिस बोर्ड) पर प्रदर्शित की जाएगी ।
- (3) उक्त नोटिस बैठक के कम से कम पूरे तीन दिनों पूर्व भेज दी जाएगी । उक्त नोटिस में बैठक बुलाने हेतु तिथि, समय और स्थान दर्शाया जायेगा ।
- (4) इस नियम के तहत जारी की गई हर नोटिस, यदि व्यवहार्य हो जिस व्यक्ति को भेजा गया है, व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुपुर्द या दी जाएगी । यदि ऐसे व्यक्ति नहीं पाये जाते हैं, तो ये उनके अंतिम ज्ञात पते पर उसे परिवार के किसी व्यस्क सदस्य या नौकर को दी जा सकती है । यदि पूर्वोक्त किसी भी तरीकों से नोटिस देना न हो, तो यह उस भवन के किसी सुस्पष्ट भाग पर चिपका दी जाएगी, जहाँ उक्त सदस्य सामान्यतः रहता है ।

\* (5) उक्त नोटिस में बताया जाएगा :-

- (क) स्थान एवं समय और घंटे जिसके मध्य नामांकन पत्र भरे जायेंगे ।
- (ख) स्थान एवं समय जिस पर और समय जिसके मध्य नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जाएगी ।
- (ग) स्थान एवं समय जिस पर और समय जिसके मध्य विधिवत नामांकन अभ्यर्थी अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं ; और
- (घ) स्थान एवं तिथि तथा समय ,जब मतदान होने पर, सदस्यों के वोट लिये जायेंगे ।

**18. अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया :-**

(1) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, के चुनाव हेतु निर्धारित समय के कम से कम दो घंटे पहले जिला पंचायत के किसी भी निर्वाचित सदस्यों द्वारा, जिन्हें इस आदेश के नियम-13 के तहत मतदान करने का अधिकार हो, किसी भी अन्य सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव हेतु प्रपत्र-V में नामांकन पत्र द्वारा नामांकित कर सकते हैं और इसे पीठासीन अधिकार को सुपुर्द कर सकते हैं ।

नामांकन पत्र उनके द्वारा और किसी अन्य निर्वाचित सदस्य द्वारा समर्थक के रूप में हस्ताक्षरित किया जायेगा । इसमें उम्मीदवार द्वारा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, के रूप में कार्य करने की स्वैच्छा दर्शायी जायेगी, यदि वे निर्वाचित होते हैं :

बशर्ते कि उक्त विनियम के अंतर्गत उपबंधित अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए पीठासीन अधिकारी लिखित में अभिलेखित किये जाने वाले कारणों से समर्थक द्वारा नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने की शर्त से छूट प्रदान कर सकते हैं ।

2. नामांकन पत्र की प्राप्ति हेतु समय समाप्त होने के तुरंत बाद पीठासीन अधिकारी, उपर्युक्त उप-नियम (1) के तहत जिन उम्मीदवारों के नाम प्राप्त हुए हैं निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र V - A में उनके नाम की सूची प्रकाशित करवाएंगे ।

3. अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, के चुनाव हेतु निर्धारित समय के कम से कम एक घंटे पहले उम्मीदवार पीठासीन अधिकारी को इस आशय की टिस देते हुए अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकते हैं ।

4. तत्पश्चात पीठासीन अधिकारी नियम-14 के प्रावधानों के अंतर्गत उन्हें सौंपे गये नामांकन पत्रों की संवीक्षा करेंगे और उसके बाद प्रपत्र V - B में उम्मीदवारों के नाम की सूची प्रकाशित करायेंगे, जो उनके विचार में अपने प्रस्ताव कर्ताओं एवं समर्थकों के नामों के साथ विधिवत एवं विधिमान्य रूप से नामांकित हुए हों ।

(5) यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष- जैसा भी मामला हो, के पद हेतु केवल एक ही उम्मीदवार विधिवत नामांकित हुआ हो, तो पीठासीन अधिकारी उसे जिला पंचायत का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष- जैसा भी मामला हो, के रूप में निर्वाचित घोषित करेंगे ।

(6) यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष- जैसा भी मामला हो, के पद हेतु एक से अधिक उम्मीदवार विधिवत नामांकित हुए हों, तो पीठासीन अधिकारी जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करेंगे ।

(7) (क) उप-नियम-6 के प्रयोजन हेतु पीठासीन अधिकारी प्रपत्र V - B में मतपत्र तैयार करायेंगे ।

(ख) चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों के नाम मतपत्र पर क्रमानुसार कुलनाम वाले उम्मीदवारों के कुलनाम और दूसरे उम्मीदवारों के उचित नामों के संदर्भ में निर्धारित किये जाएंगे । मतपत्र में और क्रमानुसार ब्यौरा अंग्रेजी भाषा में दिये जायेंगे ।

#### 19. मतदान का तरीका :

(i) प्रत्येक मतपत्र पर जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष- जैसा भी मामला हो, के पद हेतु विधिवत नामांकित उम्मीदवारों के नाम अंकित होंगे ।

(ii) यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हेतु चुनाव एक साथ कराये जाते हैं, तो प्रत्येक पद हेतु अलग मतपत्रों का उपयोग किया जायेगा ।

(iii) जिला पंचायत के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य जिस उम्मीदवार को अपना मत देना चाहते हैं, उनके नाम के सामने सही का चिह्न (√) लगाकर मतपत्र पर अपना मत अभिलेखित करेंगे । निर्वाचित सदस्य द्वारा नाम सहित मतपत्र हस्ताक्षरित किया जायेगा । मतपत्र में उस वार्ड का विवरण होगा, जहाँ से वे चुने गये हैं ।

(iv) प्रत्येक निर्वाचित सदस्य निर्वाचन स्थल पर इस प्रयोजन हेतु रखे गये मतपत्र में इस प्रकार चिह्नित मतपत्र डालेंगे ।

- (v) सचिव पंचायत के अगले आदेशों तक मतदान हेतु प्रयुक्त मतपत्रों को नष्ट नहीं किया जायेगा ।
- (vi) कोई निर्वाचित सदस्य, जिसने अपने मतपत्र को असावधानी से इस प्रकार रखा हो, जिससे अब यह मतपत्र के रूप में सुविधाजनक रूप से प्रयोग में नहीं ला सकता, वो इसे पीठासीन अधिकारी को लौटा सकते हैं और अंजाने में हुई उनकी गलती के बारे में संतुष्ट होने पर उन्हें दूसरा मतपत्र प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार लौटाये गये मतपत्र पर पीठासीन अधिकारी द्वारा "नष्ट / रद्द " चिह्न लगाया जायेगा ।
- (ख) खंड (क) के अंतर्गत सभी मतपत्रों को एक अलग पैकेट / कवर में रखा जायेगा ।
- (vii) यदि निर्वाचित सदस्य अशिक्षित हो या अंधेपन के कारण मतपत्र पर चिह्न लगाने में असमर्थ हो, तो पीठासीन अधिकारी मतदाता की इच्छानुसार मतपत्र पर मत अभिलेखित करेंगे और मतपत्र पर उसके अंगूठे का चिह्न लेंगे ।
- (viii) पीठासीन अधिकारी मतों की गणना अपने द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों की सहायता से निर्वाचित सदस्यों की उपस्थिति में करेंगे ।
- (ix) पीठासीन अधिकारी किसी मतपत्र को अस्वीकार कर देंगे :-
- (घ) जो अचिन्हित हो ;
  - (ङ) जिसमें इन नियमों के अनुसार असंगत चिह्न हों ;
  - (च) जिस पर अनिश्चित चिह्न हों ।
20. जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त हों, उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष- जैसा भी मामला हो, के रूप में विधिवत निर्वाचित घोषित किया जायेगा । मतों के समान होने की स्थिति में चुनाव के परिणाम पर निर्णय पीठासीन अधिकारी के समक्ष लॉट्स ड्रॉ करके इस प्रकार लिया जाएगा, जैसा की वे निर्धारित करें ।

EXTRAORDINARY No. : 20  
DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

EXTRAORDINARY No. : 20

DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

21. **बैठक का स्थगन** : यदि जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु कोई बैठक बुलाई जाती है और किसी भी कारण से निर्वाचन नहीं कराया जाता है, तो अध्यक्ष को उक्त बैठक किसी दूसरे दिन आयोजित करने की शक्ति होगी।

बशर्ते कि पीठासीन अधिकारी यथासंभव यथाशीघ्र स्थगन का कारण और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित अगली तिथि के बारे में सचिव पंचायत को सूचित करेंगे।

22. **जिला पंचायत के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित व्यक्ति के नाम का प्रकाशन** :

निर्वाचन की समाप्ति के तुरंत बाद पीठासीन अधिकारी अपने द्वारा हस्ताक्षरित प्रपत्र-VI में एक नोटिस संबंधित जिला पंचायत के सूचना पट्ट पर लगायेंगे, जिसमें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित सदस्यों के नाम घोषित किए जाएंगे और इस नोटिस की एक प्रति सचिव पंचायत को भिजवाएंगे।

प्रशासक, संघ प्रदेश, दमण एवं दीव  
तथा दादरा एवं नगर हवेली की ओर से

र. स. मिश्र

विशेष सचिव (पं.रा.सं.)

दमण एवं दीव

सं. 4/21/दमण/(पीआरआई)/निर्वा.अ.उपा./2013/47

दिनांक : 20/06/2013

प्रपत्र - 1

[नियम-6(1) देखें]

\_\_\_\_\_ ग्राम पंचायत के उप-सरपंच के चुनाव हेतु नोटिस

सेवा में,

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ग्राम पंचायत के उप-सरपंच तथा जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं  
उपाध्यक्ष, दमण एवं दीव के चुनाव के नियम-6 के उप-नियम (1) के अनुसरण में मैं,  
पीठासीन

अधिकारी \_\_\_\_\_ एतद्वारा यह नोटिस देता हूँ कि  
\_\_\_\_\_ ग्राम पंचायत/ जिला पंचायत की बैठक दिनांक  
(तिथि) \_\_\_\_\_ को (समय) \_\_\_\_\_ बजे उक्त विनियम की धारा-17 के  
अंतर्गत आयोजित की जाएगी ।

- (1) अधोहस्ताक्षरी को नामांकन पत्र (स्थान) \_\_\_\_\_ में पूर्वाह्न ( ) बजे  
से /अपराह्न ( ) बजे के बीच दिनांक \_\_\_\_\_ के बैठक के दिन दी  
जा सकती है ।
- (2) नामांकन पत्र संवीक्षा उसी दिन पूर्वाह्न /अपराह्न ( ) बजे से ( )  
पूर्वाह्न /अपराह्न ( ) बजे के बीच \_\_\_\_\_ में की जाएगी ।
- (3) उम्मीदवारी की वापसी संबंधी नोटिस उम्मीदवार या उसके प्रस्तावकर्ता  
(उम्मीदवार द्वारा विविवत प्राधिकृत) द्वारा मुझे \_\_\_\_\_ (स्थान) में  
उसी दिन पूर्वाह्न /अपराह्न ( ) बजे से पहले दी जाए ।
- (4) चुनाव लड़े जाने की स्थिति में मतदान उसी दिन पूर्वाह्न /अपराह्न ( )  
बजे से ( ) बजे के बीच \_\_\_\_\_ (स्थान) में किया  
जाएगा ।

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

पीठासीन अधिकारी



प्रपत्र - II

[नियम-7 (1) देखें]

ग्राम पंचायत ..... के उप-सरपंच के पद हेतु चुनाव के लिए  
नामांकन पत्र का प्रपत्र

1.	पंचायत का नाम	
2.	उम्मीदवार का पूरा नाम	
3.	उस वार्ड का नाम, जहाँ से उम्मीदवार चुना गया था ।	
4.	प्रस्तावकर्ता का नाम	
5.	वार्ड का नाम, जहाँ से प्रस्तावकर्ता चुना गया था । ग्राम पंचायत का नाम, प्रस्तावकर्ता जहाँ के अध्यक्ष हैं ।	
6.	समर्थक का पूरा नाम	
7.	वार्ड का नाम, जहाँ से समर्थक चुना गया था । ग्राम पंचायत का नाम, समर्थक जहाँ के अध्यक्ष हैं ।	

स्थान :

दिनांक :

प्रस्तावकर्ता के हस्ताक्षर

समर्थक के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि मैं नामांकन से सहमत हूँ और उप-सरपंच के रूप में कार्य करने को इच्छुक हूँ ।

स्थान .....

दिनांक .....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

\* जो लागू न हो, उसे काट दें ।

प्रपत्र -11- क

[नियम-7 (2) देखें]

\_\_\_\_\_ में ग्राम पंचायत के उप-सरपंच के रूप में चुनाव हेतु नामांकन हेतु प्रस्तावित उम्मीदवारों की सूची ।

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	प्रस्तावकर्ता का नाम	समर्थक का नाम
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

EXTRAORDINARY No. : 20  
DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE 2013

EXTRAORDINARY No. : 20

DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

प्रपत्र -11- ख

[नियम-7 (3) देखें]

\_\_\_\_\_ में ग्राम पंचायत के उप-सरपंच के चुनाव हेतु विधिमान्य तरीके से नामांकित उम्मीदवारों की सूची ।

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	अभ्युक्तियाँ
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

स्थान \_\_\_\_\_

दिनांक \_\_\_\_\_

पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र -11- ग

[नियम-7 (5) देखें]

\_\_\_\_\_ में ग्राम पंचायत के उप-सरपंच के चुनाव हेतु चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची ।

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	अभ्युक्तियाँ (यदि हो)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

स्थान : \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रपत्र II-डी

[नियम 7(8) (क) देखें]

मतपत्र

\_\_\_\_\_ ग्राम पंचायत के उप-सरपंच का निर्वाचन

दिनांक:- \_\_\_\_\_

पीठासीन अधिकारी के

हस्ताक्षर एवं मुहर

क्रम सं. उम्मीदवार का नाम मतदाता के द्वारा (√)  
का निशान

क्रम सं.	उम्मीदवार का नाम	मतदाता के द्वारा (√) का निशान
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

सरपंच / सदस्य का नाम \_\_\_\_\_

वार्ड संख्या \_\_\_\_\_

प्रपत्र-III

[नियम 11 देखें]

दमण एवं दीव ग्राम पंचायत के उप-सरपंच एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन नियम, 2013 के नियम 11 के अनुसरण में, मैं एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि अधालिखित अनुसूची के स्तंभ (1) में दिये गये व्यक्तियों को और स्तंभ (2) में दिये गये कार्यालयों के लिए कथित अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित पंचायतों के लिए निर्वाचित किया गया है, जैसे:-

अनुसूची

व्यक्ति का नाम	कार्यालय जिसके लिए निर्वाचित हुये हैं	कार्यालय से संबंधित पंचायत का नाम
(1)	(2)	(3)

स्थान : .....

दिनांक : .....

.....  
पीठासीन अधिकारी

प्रपत्र-IV

[नियम 17(1) देखें]

जिला पंचायत, दमण एवं दीव के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के निर्वाचन की सूचना

सेवा में,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

दमण एवं दीव ग्राम पंचायत के उप-सरपंच एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन नियम, 2013 के नियम 11 के अनुसरण में, मैं \_\_\_\_\_ पीठासीन अधिकारी एतद्वारा सूचना देता हूँ कि \_\_\_\_\_ जिला पंचायत हेतु एक बैठक दिनांक \_\_\_\_\_ (तिथि) को \_\_\_\_\_ (समय) बजे \_\_\_\_\_ (स्थल) पर दमण एवं दीव पंचायत विनियम, 2012 की उप-धारा 61 के तहत अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु आयोजित की जायेगी।

(1) नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी को बैठक के दिन \_\_\_\_\_ (स्थल) पर पूर्वाह्न/अपराह्न ( ) बजे से पूर्वाह्न/अपराह्न ( ) बजे तक दिया जा सकता है।

(2) उसी दिन \_\_\_\_\_ (स्थल) पर पूर्वाह्न/अपराह्न ( ) बजे से पूर्वाह्न/अपराह्न ( ) बजे तक नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी।

(3) उम्मीदवार स्वयं या अपने प्रस्तावक (उम्मीदवार द्वारा प्राधिकृत) के द्वारा मुझे सूचना देकर अपनी उम्मीदवारी उसी दिन \_\_\_\_\_ (स्थल) पर पूर्वाह्न/अपराह्न ( ) बजे से पहले वापस ले सकते हैं।

(4) अगर निर्वाचन हेतु प्रतिस्पर्धा हुई तो, मतदान उसी दिन \_\_\_\_\_ (स्थल) पर पूर्वाह्न/अपराह्न ( ) बजे होगा।

\_\_\_\_\_

पीठासीन अधिकारी

स्थान : \_\_\_\_\_

दिनांक : \_\_\_\_\_

प्रपत्र-II

(नियम 18(1) देखें)

जिला पंचायत \_\_\_\_\_ के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के  
कार्यालय के लिए निर्वाचन हेतु नामांकन पत्र

1.	जिला पंचायत का नाम	
2.	उम्मीदवार का पूरा नाम	
3.	वार्ड का नाम जहाँ से उम्मीदवार निर्वाचित हुआ है	
4.	प्रस्तावक का पूरा नाम	
5.	वार्ड का नाम जहाँ से प्रस्तावक निर्वाचित हुआ है	
6.	समर्थक का पूरा नाम	
7.	वार्ड का नाम जहाँ से समर्थक निर्वाचित हुआ है	

स्थान: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
प्रस्तावक का नाम

\_\_\_\_\_  
समर्थक का नाम

घोषणा

मैं एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं नामांकन और दमण एवं दीव जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए सहमत हूँ ।

स्थान: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
उम्मीदवार का नाम



EXTRAORDINARY No. : 20

DATED : 20<sup>TH</sup> JUNE, 2013.

प्रपत्र V-ए

[नियम 18 (2) देखें]

जिला पंचायत \_\_\_\_\_ के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए  
नामांकन हेतु प्रस्तावित उम्मीदवारों की सूची।

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	प्रस्तावक का नाम	समर्थक का नाम
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

स्थान : \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र V-बी

[नियम 18 (4) देखें]

जिला पंचायत \_\_\_\_\_ के अध्यक्ष / उपाध्यक्ष के निर्वाचन हेतु वैध  
उम्मीदवारों की सूची।

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	अभ्युक्तियाँ (यदि हो)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

स्थान : \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

पीठासीन अधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र V-सी  
[नियम 18(7) (क) देखें]

**मतपत्र**

जिला पंचायत के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन

दिनांक:- \_\_\_\_\_

पीठासीन अधिकारी के  
हस्ताक्षर एवं मुहर

क्रम सं.	उम्मीदवारों का नाम	मतदाता के द्वारा (√) का निशान
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

निर्वाचित सदस्य का नाम \_\_\_\_\_

वार्ड संख्या \_\_\_\_\_

प्रपत्र-VI

[नियम 22 देखें]

में \_\_\_\_\_ सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त पीठासीन अधिकारी, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ कि अधोलिखित अनुसूची के स्तंभ (1) में दिये गये व्यक्तियों को और स्तंभ (2) में दिये गये कार्यालयों के लिए कथित अनुसूची के स्तंभ (3) में वर्णित पंचायतों के लिए निर्वाचित किया गया है, जैसे:-

अनुसूची

व्यक्ति का नाम	कार्यालय जिसके लिए निर्वाचित हुये हैं	जिला पंचायत
(1)	(2)	(3)

स्थान: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_

-----  
पीठासीन अधिकारी